

न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल कार्यालय, राजमहल जिला-साहेबगंज।

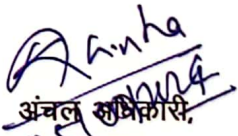
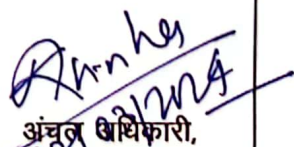
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

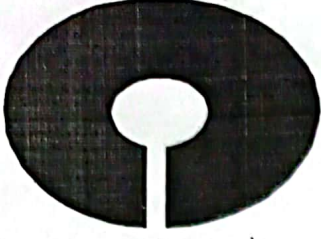
आदेश पत्रक तारीख – 19.02.2024 से 22.03.2024 तक

अंचल – राजमहल, वाद संख्या – 05/2023-24

केस का प्रकार – नीलाम पत्र वाद

आदेश की क्रमांक सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित।
1	2	3
19.02.2024	प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा – राजमहल, जिला – साहेबगंज, अपने विद्वान अधिवक्ता द्वारा देनदार – वैधनाथ रविदास, पिता – महेन्द्र रविदास, सा० – प्राणटोला, थान – राजमहल, जिला – साहेबगंज के विरुद्ध बकाया राशि – 19,989.00 की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। अतः देनदार के विरुद्ध बिहार एवं उडिसा लोक मॉग अधिनियम-4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत विधिवत सूचना (नोटिस) का तामिला स्थानीय थाना एवं निबंधित डाक के माध्यम से करें। अभिलेख दिनांक – 05/03/2024 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, राजमहल।	
05.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। उक्त पक्ष अनुपस्थित, उभय पक्ष को उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक – 22/03/2024 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, राजमहल।	
22.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। देनदार पक्ष के द्वारा बैंक बकाया राशि का NOC प्रस्तुत किया गया। संबंधित बैंक से Confirmation प्राप्त हो गया। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।  अंचल अधिकारी, राजमहल।	

19/02/24



भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

ACB RAJMAHAL BRANCH-(01433)
RAJMAHAL - 816108

CM/NPA/2023-24/ 37

DATE : 31/10/2023

"NO DUES CERTIFICATE"

It is certify that Baijnath Ravi Das S/O late Mahiendra Ravi Das a resident of Pran tola Po Ps rajmahal DIST SAHIBGANJ has settled his debts in Loan acc 31103256297 on Rin samadhan 2020-21 and hence there is no dues against the above mentioned loan account .

Thanking you

Field Officer
SBI RAJMAHAL

न्यायालय अन्तर्गत अंचल अधिकारी, राजमहल (साहेबगंज)
नीलाम पत्र वाद सं०

नोटिस बनाम :-

आवेदक का नाम वैधनाथ रविदास पिता/पति का नाम महेन्द्र रविदास
ग्राम - प्राण टोला थाना - राजमहल, जिला - साहेबगंज।

बजरिये नोटिस आपको अगाह किया जाता है कि आपके विरुद्ध (एस०बी०आई०) राजमहल द्वारा कुल राशि 18989 का नीलाम पत्र दाखिल है दिनांक - 09.11.2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से संबंधित बैंक में नीलाम से बकाया राशि जमा कर NOC प्राप्त करें जिसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करें। अन्यथा पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही किया जा सकता है। ऋण वसूली हेतु आपकी स्थायी घर-वार तथा अन्य सम्पत्ति की कुर्की जब्ती की जा सकती है। आपको ऋण वसूली के लिये एक अवसर दिया जा रहा है। अवसर का लाभ उठाने से चूक गए तो बाद में आपके विरुद्ध जो भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।




नीलाम वाद पदाधिकारी
सह-
अंचल अधिकारी,
राजमहल।